APPENDIX - XVI

CERTIFICATE OF REGISTRATION OF SOCIETIES

I hereby certify that SAMAJ KALYAN & ANUSANDHAN SAMITI KOTA (society name with address) has this day been registered under the Societies Registration Act XXI of 1860 1958

Given under my hand at KOTA (place) this 18 (date of registration) Wednesday day of (month) Sept two thousand 2024 (year).

Seal & Signature of Registrar of Societies

DR. GOVIND PRASAD LADDHA

उप रजिस्ट्रार

सहकारी समितियाँ कोटा

Place : KOTA

Date : 18/9/2024

*** The filled up certificate should be either in Hindi or English. If it is issued in vernacular language, translated notarized version in English be uploaded along with the original vernacular certificate as a single pdf.**

राजस्थान सरकार

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र

क्रमांक 112 / कोटा / 1996 - 97

यह प्रमाणित किया जाता है कि समाज कल्याण एवं अनुसंधान समिति, कोटा जिला–कोटा का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 [राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958] के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण-पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक बारह माह दिसम्बर सन् एक हजार नौ सौ छियानवे को कोटा में दिया गया।

रजिस्ट्रार
संस्थाएं कोटा (राज.)

रजिस्ट्रार
संस्थाएं कोटा (राजस्थान)

संस्था नाम – **समाज कल्याण एवं अनुसंधान समिति** पंजीयन क्रमांक 112/कोटा/1996–97

रजिस्टर्ड कार्यालय – 29 आकाशवाणी के पीछे, नयापुरा कोटा

संशोधित विधान

संस्था के उद्देश्यों में उपधारा 3 के अन्तर्गत निम्न प्रकार संशोधन किये जाते है :–

पूर्व उद्देश्य

1 समाज कल्याण एवं सामाजिक सेवा की दृष्टि से शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बालक बालिकाओं को प्राथमिक, माध्यमिक एवं विश्व–विद्यालय हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में शिक्षा देने के लिए विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना की जाकर उनका संचालन करना।

2 बालकों एवं महिलाओं को आत्म निर्भर बनाने के लिए महिला विकास, बाल विकास, स्वरोजगार कार्यक्रम आदि के नियमानुसार केन्द्र स्थापित कर संचालन करना, जैसे स्काउट ट्राईज्म, पी. एम.आर. खादी ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा संचालित योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों में चलाये जाने वाले सभी कार्यक्रमों सहयोग करना।

3 विकलांग व्यक्तियों के लिये पुर्नवास केन्द्र राज्य व केन्द्र द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को समिति द्वारा लाभ उपयुक्त व्यक्ति तक पहुंचाना।

4 शिशुओं के लिए गृह, डेकेयर सेन्टर, एज्युकेशन सेन्टर, प्ले स्कूल, क्रेज आदि स्थापित करना।

5 विधवा, बेसहारा एवं परित्यक्ता महिलाओं के लिए पेंशन सुविधा, आश्रम गृह, महिला सदन आदि का संचालन करना।

6 स्वास्थ्य सम्बन्धी चिकित्सालय, स्वास्थ्य केम्प केन्द्र राज्य सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रमों के अनुसार संचालित करना।

7 अनुसूचित जाति, जनजाति एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा घोषित योजनाओं को निचले स्तर पर पहुंचाना एवं उचित व्यक्ति को लाभ दिलवाना।

8 अन्य सहकारी समितियों एवं समाज सेवी संस्थाओं से मिलकर एवं उनके सहयोग से समाज सेवा के अनेकों कार्यक्रमों का संचालन करना व सहयोग करना।

9 महिलाओं, बाल, विकलांग, पिछडे आदि के विकास हेतु सांस्कृतिक व सामाजिक कार्यक्रम आयोजित करना।

10. उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य सरकार, संस्थओं एवं व्यक्तियों से अनुदान प्राप्त करना।

11. उक्त उद्देश्यों में किसी व्यक्ति अथवा संस्था का कोई लाभ निहित नहीं है।

12. आवश्यकतानुसार तकनीकी, औद्योगिक, चिकित्सा, शैक्षिक क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मेडिकल स्कूल–कॉलेज एवं विद्यालय खोलना।

13. व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत महाविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं का संचालन करना, जैसे स्कूल, महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं कम्प्यूटरीकृत शिक्षा आदि।

संशोधित यथावत उद्देश्य

1 समाज कल्याण एवं सामाजिक सेवा की दृष्टि से शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बालक बालिकाओं को प्राथमिक, माध्यमिक एवं विश्व–विद्यालय हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषाओं में शिक्षा देने के लिए विद्यालय एवं कॉलेज की स्थापना की जाकर उनका संचालन करना।

2 से 11 विलोपित किये गये उद्देश्य।

12. आवश्यकतानुसार तकनीकी, औद्योगिक, चिकित्सा, शैक्षिक क्षेत्र में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मेडिकल स्कूल–कॉलेज एवं विद्यालय खोलना।

13. व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत महाविद्यालयों एवं शिक्षण संस्थाओं का संचालन करना, जैसे स्कूल, महाविद्यालय, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय एवं कम्प्यूटरीकृत शिक्षा आदि।

नये जोड़े गये उद्देश्य

14. समाज कल्याण एवं सामाजिक सेवा की दृष्टि से शिक्षा के प्रचार–प्रसार के लिए बालक–बालिकाओं को प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, विद्यालय–महाविद्यालय–विश्वविद्यालय द्वारा हिन्दी, अंग्रेजी एवं अन्य भाषाओं में सहशिक्षा/महिला शिक्षा देने के लिए संस्थानों की स्थापना एवं उनका संचालन करना।

15. विद्यालयी शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बालक–बालिकाओं को प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शिक्षा, हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम से (सहशिक्षा/महिला शिक्षा) रा.मा.शि.बो./ के.मा.शि.बो. से प्रदान करने के लिए विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना।

16. उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बालक–बालिकाओं को अकादमीक उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए डिग्री महाविद्यालय, (सहशिक्षा/महिला शिक्षा) जैसे -- स्नातक एवं स्नात्कोतर महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना।

17. उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए बालक–बालिकाओं को व्यवसायिक शिक्षा, दूरस्त शिक्षा प्रदान करने के लिए तकनीकी, औद्योगिक, चिकित्सा, विधिक क्षेत्र में महाविद्यालय, (सहशिक्षा/महिला शिक्षा) जैसे – स्नातक एवं स्नात्कोतर महाविद्यालयों, एस.टी.सी. संस्थान, बी.एड.,एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. महाविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय, व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, पोलोटेक्निक शिक्षण संस्थान, मेडिकल कॉलेज, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, होम्योपेथिक मेडिकल कॉलेज, वेटेरिनरी मेडिकल कॉलेज, नर्सिगं स्कूल एवं कॉलेज–जी.एन.एम., बी.एस.सी. नर्सिग, पोस्ट बेसिक, एम.एस.सी. नर्सिग, आयुर्वेद नर्सिगं, होम्योपेथिक नर्सिगं, वेटेरिनरी नर्सिगं, पैरामेडिकल शिक्षण संस्थान, कम्प्यूटरीकृत शिक्षा हेतु महाविद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करना।

18. उच्च शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना एवं संचालन करना।

19. उपर्युक्त समस्त शैक्षिक कार्यो के लिए राष्ट्रीयकृत एवं राजकीय वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त करना एवं शैक्षणिक गतिविधियों का संचालन करना।

* उक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है।

इस दस्तावेज ... पत्रावली ... है। 20/10/2009
रजिस्ट्रार
संस्थाएं, कोटा

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
समाज कल्याण एवं अनंसुधान समिति, कोटा	समाज कल्याण एवं अनंसुधान समिति, कोटा	समाज कल्याण एवं अनंसुधान समिति, कोटा

नाम संस्था – **समाज कल्याण एवं अनुसंधान समिति**
29, आकाशवाणी के पीछे, नयापुरा कोटा

उपधारा 12 मे संशोधन

संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रबन्ध कार्यकारिणी का गठन किया जायेगा जिसके पदाधिकारी तथा सदस्य निम्न प्रकार होगें :–

पूर्व पदाधिकारी तथा सदस्य

1.	अध्यक्ष	–	एक
2.	उपाध्यक्ष	–	एक
3.	मंत्री	–	एक
4.	उपमंत्री	–	एक
5.	कोषाध्यक्ष	–	एक
6.	सदस्य	–	दो

संशोधित पदाधिकारी तथा सदस्य

1.	अध्यक्ष	–	एक
2.	मंत्री (सचिव)	–	एक
3.	कोषाध्यक्ष	–	एक
4.	सदस्य	–	चार

इस प्रकार प्रबन्ध कार्यकारिणी मे पदाधिकारी 03 एवं सदस्य 04 कुल 07

अध्यक्ष
समाज कल्याण एवं अनुसंधान समिति,
29, आकाशवाणी के पीछे,
कोटा (राज.)

सचिव
समाज कल्याण एवं अनुसंधान समिति,
29, आकाशवाणी के पीछे,
कोटा (राज.)

कोषाध्यक्ष
समाज कल्याण एवं अनुसंधान समिति,
29, आकाशवाणी के पीछे,
कोटा (राज.)

Registered on this day the 10/3/03 of.........

रजिस्ट्रार
संस्थाएं – कोटा (राज.)

नाम संस्था – **समाज कल्याण एवं अनुसंधान समिति**

29, आकाशवाणी के पीछे, नयापुरा कोटा

उपधारा 15 मे संशोधन

पूर्व कार्यकारिणी की बैठके –

1. कार्यकारिणी की बैठकें निम्न लिखितानुसार बुलाई जा सकेगी कार्यकारिणी की वर्ष मे कम से कम 5 बैठके अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठके अध्यक्ष/ मंत्री द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबन्ध कारिणी की कुल संख्या के 1/2 से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जायेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिवान से कम समय मे भी दी जा सकती है।
4. कौरम के अभाव मे बैठक स्थगित की जा सकेगी। जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। लेकिन विचारणीय विषय वहीं होगे जो पूर्व एजेन्डा मे थे प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की पुष्टि आगामी आम सभा मे कराना आवश्यक होगा।

संशोधित कार्यकारिणी की बैठकें

1. कार्यकारिणी की बैठकें निम्न लिखितानुसार बुलाई जा सकेगी कार्यकारिणी की वर्ष मे कम से कम 2 बैठके अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता होने पर बैठके अध्यक्ष/ मंत्री (सचिव) द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबन्ध कारिणी की कुल संख्या के 1/2 से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जायेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिवान से कम समय मे भी दी जा सकती है।
4. कौरम के अभाव मे बैठक स्थगित की जा सकेगी। जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। लेकिन विचारणीय विषय वहीं होगे जो पूर्व एजेन्डा मे थे प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की पुष्टि आगामी आम सभा मे कराना आवश्यक होगा।

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
समाज कल्याण एवं अनुसंधान समिति, 29, आकाशवाणी के पीछे, कोटा (राज.)	समाज कल्याण एवं अनुसंधान समिति, 29, आकाशवाणी के पीछे, कोटा (राज.)	समाज कल्याण एवं अनुसंधान समिति, 29, आकाशवाणी के पीछे, कोटा (राज.)

Registered on this day the 10/3/03

रजिस्ट्रार
संस्थाऐं – कोटा (राज०)

नाम संस्था – **समाज कल्याण एवं अनुसंधान समिति**

29, आकाशवाणी के पीछे, नयापुरा कोटा

उपधारा 16 (3) मे संशोधन

प्रबन्ध कार्यकारिणी के अधिकार तथा कर्त्तव्य

प्रबन्ध कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होगें :–

पूर्व अधिकार एवं कर्त्तव्य

3. मंत्री

1. बैठके आहूत करना।
2. आय–व्यय पर नियंत्रण करना।
3. कार्यवाही लिखाना एवं रिकार्ड रखना।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पारित करना।
5. संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6. पत्र व्यवहार करना।
7. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अन्य कार्य जो आवश्यक हो।

संशोधित अधिकार एवं कर्त्तव्य

3. मंत्री (सचिव)

1. बैठके आहूत करना।
2. आय–व्यय पर नियंत्रण करना।
3. कार्यवाही लिखाना एवं रिकार्ड रखना।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियंत्रण करना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पारित करना।
5. संस्थाओं का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से हस्ताक्षर करना।
6. पत्र व्यवहार करना।
7. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु अन्य कार्य जो आवश्यक हो।
8. संस्था हित में राष्ट्रीयकृत, व्यवसायिक बैंकों एवं अन्य वित्तिय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना एवं अदायगी सुनिश्चित करना।

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष
समाज कल्याण एवं अनुसंधान समिति, 29, आकाशवाणी के पीछे, कोटा (राज.)	समाज कल्याण एवं अनुसंधान समिति, 29, आकाशवाणी के पीछे, कोटा (राज.)	समाज कल्याण एवं अनुसंधान समिति, 29, आकाशवाणी के पीछे, कोटा (राज.)

Registered on this day the 10/3/03 of........

रजिस्ट्रार
संस्थायें – कोटा (राज०)

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

कार्यकारिणी की सूची / EXECUTIVE COMMITTEE LIST

पं. संख्या / REG. NO.- 112/KOTA/96-97 दिनांक / DATE- 18-01-2023

SAMAJ KALYAN AND ANUSANDHAN SAMITI जिला **कोटा** राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) के अन्तर्गत पंजीकृत संस्था है। इस संस्था की परिवर्तित कार्यकारिणी अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय मे राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा– 4 (1) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसे संस्था के रिकॉर्ड मे संधारित किया जाता है।

SAMAJ KALYAN AND ANUSANDHAN SAMITI DISTRICT **Kota** IS A REGISTERED INSTITUTION UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NUMBER 28, 1958) . THE CHANGED EXECUTIVE COMMITTEE OF THE INSTITUTION IS SUBMITTEED BEFORE THE UNDERSIGNED UNDER THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958

SECTION- 4 (1) WHICH IS FILED IN THE SOCIETY'S RECORD.

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
1		Abdul Ajim Khan	MALE	DIRECTOR MEMBER		01/08/1952
2		Abdul Hamid Khan	MALE	PRESIDENT		05/08/1935
3		Dr. Zafar Mohammed	MALE	SECRETARY		19/01/1958
4		Krishna Kumar Gautam	MALE	DIRECTOR MEMBER		03/06/1966
5		Najeeburrahman Mirza	MALE	DIRECTOR MEMBER		11/09/1964

Signature Not Verified

Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.01.18 15:16:31 IST
Reason: Approved
Location: Kota

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Address	DOB
6		Shahla Khan	FEMALE	DIRECTOR MEMBER		03/10/1983
7		Zuber Khan	MALE	TREASURER		22/09/1985

नोट– इसे रजिस्ट्रार द्वारा शासी निकाय / GOVERNING BODY की वैधानिकता का अनुमोदन नहीं माना जावे ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Govind Prasad Laddha
Designation : REGISTRAR
Date: 2023.01.18 15:16:31 IST
Reason: Approved
Location: Kota